-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 13.04.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना मरका पुलिस द्वारा जबरन वसूली करने तथा विरोध करने पर जान से मारने का प्रयास करने वाले 04 अभियुक्तों को अवैध तमंचा के साथ किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों द्वारा थाना मरका क्षेत्र के ग्राम खेरा में दिनांक 29.03.2025 की रात्रि को घटना को दिया गया था अंजाम।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज 13.04.2025 को थाना मरका पुलिस द्वारा जबरन वसूली करने तथा विरोध करने पर जान से मारने का प्रयास करने वाले 04 अभियुक्तों को अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 11.04.2025 को थाना मरका क्षेत्र के ग्राम खेरा के रहने वाले बाबूलाल द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 29.03.2025 की रात्रि को जबरन वसूली करने तथा विरोध करने पर जान से मारने का प्रयास करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसके सम्बन्ध में थाना मरका में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम मे आज दिनांक 13.04.2025 को थाना मरका पुलिस द्वारा घटना में शामिल 04 अभियुक्तों को मरका पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार एक अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा व दो जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मरका में अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजेश उर्फ फूलबाबू विश्वकर्मा पुत्र जुगराज विश्वकर्मा नि0ग्राम सिघरी किशनपुर जनपद फतेहपुर।
2. जयकरन सोनकर पुत्र रजऊ नि0ग्राम हरदासपुर थाना खखेरू जनपद फतेहपुर।
3. सुन्दर निषाद पुत्र रामचरन नि0ग्राम पिपरहा डेरा थाना किसनपुर जनपद फतेहपुर।
4. प्रेमचन्द्र पुत्र कैरा नि0ग्राम सेंधरी थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 41/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109/308(5)/117(2)/115(2)/352/351(3)/119 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मरका जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री सुभाष चन्द्र थाना प्रभारी मरका
2. उ0नि0 श्री चन्द्रकान्त शुक्ला
3. हे0का0 सचेन्द्र पटेल
4. का0 पीयूष कटियार
5. का0 अश्वनी यादव
6. का0 विनोद कुमार यादव